PSIT Kanpur

PRANVEER SINGH INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Approved by AICTE, PCI and Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow (U.P.)
Campus: Kanpur-Agra-Delhi National Highway (NH-19), Bhauti, Kanpur 209 305
Ph.: +91-512-2696244, 2696248 | **Email:** info@psit.ac.in
Admin. City Office: 117/H-1/315, Model Town, Pandu Nagar, Kanpur 208 005 | **Ph.:** 0512 223 0044, 223 0066, 0512 224 0000

PSIT/2023-24/2155

June 21, 2024

Mr. Ritesh Dixit
Assistant Professor
Department of Mechanical Engineering

Subject:- Regarding additional responsibility of NSS (National Service Scheme).

In addition to your duties & responsibilities as Assistant Professor, Mechanical Engineering, you are hereby assigned the additional responsibility of **NSS (National Service Scheme)** w.e.f. 21st June, 2024.

You are expected to fulfill your duties & responsibilities most diligently.

With Best Wishes.

(Prof. S. K. Bhalla)
Director

Director
Pranveer Singh Institute of Technology
Kanpur Agra Delhi National Highway
Bhauti, Kanpur (U.P.)- 209305

Copy to:
- All concerned

Scanned by CamScanner

डा0 एपीजे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/अधि0 छात्र क0/2024/2570 दिनांकः 11-6- 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः– अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 शासन, के पत्र संख्याः 507/सत्तर–रा0से0यो0/अ0–2023 दिनांक 27.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्र संलग्न) उक्त पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन हेतु अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

अतः कृपया उक्त से अवगत होते हुए अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति हेतु दिनांक 24.06.2024 सायं 05.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित कुलसचिव कार्यालय, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031 पर भेजते हुए एक प्रति email ID-registrar@aktu.ac.in पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव/जन सम्पर्क अधिकारी, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

120

संख्या– 507 / सत्तर–रा0से0यो0को0–2023

प्रेषक,

डॉ0 मंजू सिंह,
विशेष कार्याधिकारी एवं,
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,

1. डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
2. पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
3. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
4. लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ
5. जगदगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
7. मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़
8. नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, प्रयागराज
9. चन्द्रशेखर आजाद कृषि वं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर
10. सैम हिग्गिनबॉटम इन्स्टी0ऑफ एण्ड सांइसेज, प्रयागराज
11. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय,लखनऊ
12. रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झॉसी
13. केंद्रीय संस्कृत मानित विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर
14. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ
15. उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा
16. बाँदा कृषि व प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा
17. आचार्य नरेन्द्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
18. महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ
19. बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली
20. महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर
21. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
22. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर
23. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
24. संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता मथुरा
25. बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. जे0 पी0 इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फारमेसन टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोयडा
27. गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोयडा
28. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर
29. डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

Registrar / DSW
2/1/24.

560
02/1/23

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग **लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2023**

विषयः– राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालयों में अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कुलसचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति अधिकतम 04 वर्ष के लिए (3+1) की जाती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में सूच्य है कि विश्वविद्यालयों में

Coordinator (NSS)
03/01/2024

D.S.W / DR.(R)

अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयक अपनी अधिकतम 04 साल की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी कार्यरत है और कुछ अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयक उचित चयन प्रक्रिया के बगैर नामित किए गए है। अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयकों के लम्बित/ रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहा है। **जिन विश्वविद्यालयों में अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयकों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उचित चयन प्रक्रिया के बगैर नामित किया गया है तथा लम्बित/रिक्त है, उनको कार्यमुक्त करते हुए शीघ्रातिशीघ्र चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या–1309/सत्तर–रा0से0 यो0को0–26/92 दिनांक–23 अगस्त, 1999 के क्रम में प्रक्रियाधीन प्राविधानों के अनुरूप सम्पन्न किया जाये।**

2– **जिन विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम समन्वयक नामित किये गये हैं उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां/पत्र जारी करने का अधिकार नही होगा। तथा नियमित नियुक्ति न होने तक समन्वयक का कार्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा स्वतः ही सम्पादित किया जायेगा।**

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुल सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम समन्वयकों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए प्रक्रियाधीन प्राविधानों के अनुसार अशंकालिक कार्यक्रम समन्वयकों का नियुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त से सम्बन्धित सूचना शासन के ई–मेल–**upsno.luck@gmail.com** पर प्रेषित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
27/12/2023
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या– 507 (1)/सत्तर–रा0से0यो0को0–2023,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, कुलपति रा.से.यो. से सम्बन्धित विश्वविद्यालय, के अवलोकनार्थ।
3– निजी सचिव, विशेष सचिव को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग नई दिल्ली।
6– क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय,हाल नं0–1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच0, अलीगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,
27/12/2023
(डॉ0 मंजू सिंह)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

(118)

संख्या- 1309 /सत्तर-रा0से0यो0को0-26/92

प्रेषक,

आर0एस0एन0त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित
विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

81473

उच्च शिक्षा राष्ट्रीय सेवा योजना को0 विभाग लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 1999

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन के लिये अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति, अर्हतायें तथा कर्तव्य आदि के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1066/15-रा0से0यो0-26/78, दिनांक 2 मई, 1987, संख्या-396ए/15-रा0से0यो0-26/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1989, संख्या-1607/15-रा0से0यो0-26/78, दिनांक 7 जून, 1991, संख्या-1607/15-रा0 सेयो-26/92, दिनांक 18 जुलाई, 1991, संख्या-1069/15-रा0से0यो0-26/92, दिनांक 14 मई, 1993, संख्या-1024/पन्द्रह-रा0से0यो0-26/92, दिनांक 13 अगस्त, 1996, संख्या-1076/पन्द्रह-रा0से0यो0-30/81, दिनांक 27 सितम्बर, 1996, संख्या-941/पन्द्रह-रा0से0यो0-26/92, दिनांक 23 जून, 1997 तथा संख्या-1139/सत्तर-रा0से0यो0को0-26/92, दिनांक 12 जून, 1998 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के चयन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:-

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति भारत सरकार के निदेशानुसार एक चयन समिति के माध्यम से तीन वर्ष के लिये की जाय। इस हेतु चयन समिति का निम्न रूप से गठन किया जाय:-

1.	विश्वविद्यालय के कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	शिक्षा सचिव या सचिवालय राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित अधिकारी या उनके नामिनी	-	सदस्य
3.	भारत सरकार द्वारा नामित क्षेत्रीय केन्द्र का अधिकारी	-	सदस्य
4.	विश्वविद्यालय के कुल सचिव	-	सदस्य-सचिव

..... क्रमशः 2

(117)

2. कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के छः माह पूर्व ही निर्धारित चयन समिति के माध्यम से नये नियमित अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर ली जाय । निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक को कोई आउट आफ पाकेट एलाउन्स देय नहीं होगा। आउट आफ पाकेट एलाउन्स के अनियमित भुगतान का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का होगा । यदि कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक का तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के छः माह पूर्व ही निर्धारित चयन समिति के माध्यम से नये कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के चयन की कार्यवाही नहीं की जाती है अथवा पुराने कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के एक वर्षीय कार्यकाल के विस्तारण की कार्यवाही पूर्ण कर विस्तारित नहीं कर लिया जाता है तो पुराने कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्येक दशा में तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होते ही स्वतः तात्कालिक प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाय तथा कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक का प्रभार विश्वविद्यालय के कुल सचिव को इस निर्देश के साथ हस्तान्तरित कर दिया जाय कि वह कार्यभार ग्रहण करने के विलम्बतम 30 दिन के अन्दर ही अनिवार्य रूप से चयन समिति की बैठक आहूत कर दें ।

3. यदि किसी अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक का कार्य उच्चकोटि का हो तो उसे पुनः उक्त चयन समिति के सम्मुख उपस्थित होना पड़ेगा । चयन समिति उनके कार्य का मूल्यांकन करके सन्तुष्ट होने की दशा में एक वर्ष का समय पुनः बढ़ा सकती है । उक्त चार वर्ष की अवधि के पश्चात उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा । साथ ही समन्वयक को किसी भी प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियां/पत्र जारी करने का अधिकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति न होने तक समन्वयक का कार्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा स्वतः ही [illegible] किया जायेगा । उन्हें कोई पाकेट एलाउन्स देय नहीं होगा ।

कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के कार्यकाल विस्तारण पर विचार करते समय कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु नये आवेदकों से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें ताकि समिति को कार्यकाल विस्तारण पर स्वीकारोक्ति न होने की दशा में नये कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक का चयन किया जा सके ।

4. विशेष परिस्थितियों में अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की तदर्थ नियुक्ति शासन की पूर्व सहमति से किसी भी दशा में छः माह से अधिक अवधि के लिये न की जाय तथा छः माह के उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व ही चयन समिति के माध्यम से नये अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक का चयन कर लिया जाय। उक्त छः माह पश्चात तदर्थ अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक को पाकेट एलाउन्स न दिया जाय तथा नियमित नियुक्ति न होने तक समन्वयक का कार्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा स्वतः ही सम्पादित किया जाय।

'क' 'ख'

[illegible]

तदर्थ रूप से नियुक्त कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक को भी छः माह पूर्ण होते ही तत्काल स्वतः तात्कालिक प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाय तथा कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक का प्रभार विश्वविद्यालय के कुल सचिव को इस आवश्यक निर्देश के साथ हस्तान्तरित कर दिया जाय कि वह कार्यभार ग्रहण करने के विलम्बतम 30 दिन के अन्दर ही अनिवार्य रूप से चयन समिति की बैठक आहूत कर दें। तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार सीमित होंगे। उन्हें अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। उन्हें संबंधित वित्तीय वर्ष के केवल एक तिहाई तक के अनुदान की ही स्वीकृतियाँ जारी करने का अधिकार होगा। यदि शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति द्वारा अपरिहार्य कारणवश न्यूनतम अर्हतायें पूर्ण होने की प्रत्याशा में एक वर्ष के लिये तदर्थ रूप से कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति की जाती है तो इस प्रकार नियुक्त कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक को एक वर्ष के अन्दर ही न्यूनतम अर्हतायें पूर्ण होने पर कुलपति के अनुमोदन पर शासन द्वारा नियमित रूप से तीन वर्ष के लिये नियुक्ति दी जा सकती है किन्तु इस शर्त के साथ कि तीन वर्ष के कार्यकाल की गणना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही आगणित की जायेगी।

"क"

5. विधिवत गठित चयन समिति द्वारा अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति करते समय भारत सरकार तथा [illegible] शासन के प्रतिनिधि की सहमति अनिवार्य होगी।

6. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्यक्रम समन्वयक के पद के लिये निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं :-

(क) उसे विश्वविद्यालय या सम्बद्ध कालेज में रीडर/प्रवक्ता (चयन वेतनमान)/प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान)/पद पर कार्यरत होना चाहिए ।

(ख) सम्बद्ध कालेजों के प्रधानाचार्य जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि तथा रीडर का दर्जा प्राप्त हो, को भी समन्वयक की नियुक्ति के लिये विचार किया जा सकता है ।

(ग) वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी के पद पर न्यूनतम तीन वर्ष तक रहा हो ।

(घ) उसे प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए ।

(ङ) कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय उसे पचास वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

7. किसी भी अवस्था में विश्वविद्यालय को स्थायी आधार पर कार्यक्रम समन्वयक को नियुक्ति करने अथवा स्थायी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । कार्यक्रम समन्वयक के चयन के लिये विश्वविद्यालय परिसर तथा सभी स्थानीय सम्बद्ध महाविद्यालयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने चाहिए ।

चयन समिति की बैठक आहूत करने से पूर्व शासन तथा भारत सरकार के क्षेत्रीय केन्द्र को सम्बन्धित विज्ञप्ति की प्रति एक माह पूर्व उपलब्ध करायी जाय । कार्यक्रम समन्वयक तथा एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय अभ्यर्थी को स्वयं साक्षात्कार के लिये उपस्थित होना पड़ेगा ।

8. नियमित रूप से नियुक्त अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध वित्तीय/प्रशासनिक या अन्य कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसे तुरन्त शासन के संज्ञान में लाया जाय । यदि आवश्यक हो तो उपर्युक्त के सम्बन्ध में निर्धारित अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक चयन समिति की तत्काल बैठक आयोजित की जाय और कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक को उनके निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने के पूर्व पद मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में तथा नये अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक/एसोसिएट कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय । इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था शासन को मान्य नहीं है ।

9. राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना है और यह कार्यक्रम शिक्षा का एक आवश्यक भाग है, अतः विश्वविद्यालयों के अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक जब राष्ट्रीय सेवा योजनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों में भाग ले तो उनके द्वारा सम्पादित किया गया कार्य शासकीय कार्य माना जायेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजनाओं से सम्बन्धित किसी बैठक अथवा कार्यक्रम में भाग लें तो वह उनके द्वारा निष्पादित किया गया शासकीय कार्य होगा। इस हेतु कार्यक्रम समन्वयक को किसी प्रकार का अवकाश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

10. राष्ट्रीय सेवा योजना संहिता तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं :-

(1) छात्र संख्या आवंटन प्रस्ताव, व्यय विवरण, छमाही आख्यायें, वार्षिक आख्या, उपयोग प्रमाण पत्र, छात्र संख्या पंजीकरण सूचना, राजकोष से अनुदान आहरण की सूचना तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के निरन्तरता प्रस्ताव की सूचना निर्धारित तिथियों में शासन को उपलब्ध कराना।

(2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों तथा विश्वविद्यालयों की परामर्शदात्री समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन करवाना।

(3) महाविद्यालयों से उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित शासन को प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं तथा आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्राप्त होने के पश्चात महाविद्यालयों को अनुदान अवमुक्त करना।

(4) राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित रिकार्ड, रजिस्टर एवं लेखे जोखे का नियमानुसार रख-रखाव।

(5) कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करवाना।

(6) विश्वविद्यालय सलाहकार समिति का गठन तथा बैठकें आयोजित करवाना।

(7) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों द्वारा आयोजित सामान्य एवं विशेष शिविर कार्यक्रमों की पूर्व सूचना शासन को उपलब्ध कराना।

(8) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य एवं विशेष शिविर का निरीक्षण करना तथा उनकी आख्या शासन को उपलब्ध कराना।

(9) राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये रखना।

(10) राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन सुनिश्चित करवाना।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० एन० त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1309 (1)/सत्तर-रा०से०यो०को०-26/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अवर सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, समस्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) 12/11 जामनगर हाउस, नई दिल्ली।
6. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्य तथा खेल विभाग (राष्ट्रीय सेवा योजना, सी-383 इन्दिरानगर, लखनऊ।
7. कार्यक्रम समन्वयक, समस्त संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा० सतपाल सिंह साहनी)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।